भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

******

Office Order No. 30 of 2024

Sub : Marking of attendance through Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) in Board's Office.

Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) was enabled for registering Attendance with a view to ensuring and effectively monitoring attendance and punctuality of all its officials as a means to efficient transaction of the office works. In this regard, instructions have been issued from time to time and the last issued vide Office Order No. 18 of 2024.

2. Despite these instructions, it has been observed that there are cases where employees are not marking their attendance in AEBAS. It has again been instructed that all Officers and staff should mark their attendance in Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) mandatorily and regularly. It is, therefore, reiterated that all Officers and staff working in Ministry of Railways (Railway Board) should record their attendance in AEBAS without fail, both at the time of coming and leaving office. Further, surprise checking of punctuality of officials will also be done at regular intervals in coordination with RBCC.

3. Those officials, who have not registered themselves in Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS), may please register in AEBAS immediately through the link: https://indianrailways.attendance.gov.in/register/myemp for marking of attendance. The detailed procedure for registration is available at e-office Home page under Notice Board – Creation of Attendance ID and User registration in AEBAS. All Officers and staff who joined Board's Office and already registered in AEBAS in previous department may please transfer their AEBAS data to Railway Board.

4. The above instructions may be adhered to by all officers/staff without fail.

No. 2024/O&M/9/1
Dated:- 15.06.2024

(T. Srinivas)
Joint Secretary/ Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No. : 011-47845551

All Officers/Branches in Board's Office, COFMOW and Dayabasti, New Delhi.

CRB&CEO, MF, MI, M/O&BD, M/TRS

Secretary/RB, ED/C&IS

Copy to : **EDPG/MR**

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 30

विषय: बोर्ड कार्यालय में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज करना।

कार्यालयी कार्यों के कुशल निष्पादन के साधन के रूप में अपने सभी अधिकारियों की उपस्थिति और समयपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को संस्थापित किया गया था। इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं, और पिछले अनुदेश 2024 के कार्यालय आदेश सं. 18 के अंतर्गत जारी किए गए थे।

2. इन अनुदेशों के बावजूद, यह देखा गया है कि ऐसे मामले हैं जहां कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। यह पुनः निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से और नियमित रूप से आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। इसलिए, यह दोहराया जाता है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना किसी चूक के कार्यालय आने और जाने के समय सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। इसके अलावा, आरबीसीसी के समन्वय से नियमित अंतराल पर अधिकारियों की समयपालन की औचक जांच भी की जाएगी।

3. सभी अधिकारी, जिन्होंने आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में स्वयं का पंजीकरण नहीं किया है, https://indianrailways.attendance.gov.in/register/myemp लिंक के द्वारा आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में पंजीकृत करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें। पंजीकरण करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया ई-ऑफिस होम पेज पर नोटिस बोर्ड-उपस्थिति आईडी का सृजन और आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपयोगकर्ता पंजीकरण के अंतर्गत उपलब्ध है। जिन अधिकारियों ने बोर्ड कार्यालय में कार्यग्रहण किया और पहले से ही पिछले विभाग में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में पंजीकृत हैं, वे अपने आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली डेटा का रेलवे बोर्ड में अंतरण सुनिश्चित करें।

4. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों का निरपवाद अनुपालन किया जाए।

सं. 2024/ओएंडएम/9/1
दिनांक: 15.06.2024

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in
टेलीफोन नं. 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक
सचिव/रेलवे बोर्ड, कार्यपालक निदेशक/सी एंड आईएस
प्रतिलिपि प्रेषित: कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री